तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
25.9.24	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 28.10.24 को पेश हो ।	
28/10/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप। अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की ओर से वकील श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा वकालत नामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 22.11.24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
22.11.24	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। पत्रावली मे उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि विप्रार्थीगण द्वारा हमारे कब्जा काश्त मे दखलदांजी पैदा की जा रही है तथा भूमि का आगे बेचान करने पर आमादा होने से पूर्व मे माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तावफैसला वाद जारी रखा जावें। इसके विपरित विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि हमारे द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे [illegible] नही की जा रही [illegible] स्थगन का सहारा [illegible] परेशान किया जा रहा है तथा हमारे कब्जा काश्त मे लगातार दखलदांजी पैदा की जा रही [signature] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
है। हमारा पृथक ट्यूबवेल करवाया हुआ होने तथा हम विप्रार्थीगण 1/2 हिस्सा के खातेदार होने से अपने कब्जा में ही काश्त कर रहे है। उक्त एकपक्षीय स्थगन से हमारे खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। अतः निवेदन है पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन को निरस्त करते हुए उक्त आवेदन खारिज फरमाया जावें। हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजी मे 1/2 प्रार्थी का तथा 1/2 विप्रार्थीगण का खातेदारी हिस्सा है। दोनों पक्षों के ट्यूबवेल खुदे हुए है एवं अपने-अपने कब्जा में काश्त कर रहे है। अतः उक्त काबिज होकर विवादित आराजी में उभयपक्ष के खातेदारी अधिकार निहित होने से तथा उभयपक्षों के मध्य तनाव व विवाद को रोकने हेतु उभयपक्ष को वाद निस्तारण तक पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त स्थिति में विवादित आराजी के मौजा स्वामी का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 113,125 रकबा 14.8924, 0.2833 हेक्टेयर भूमि में उभयपक्ष को एक-दुसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थाई [illegible] जारी की जाकर ताफैसला [illegible] उक्त स्थगन [illegible] प्रभावित रहेगा। पत्रावली फैसल सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner